न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बजरंग लाल स्वामी , आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 106 / 2024

1. मीता नाहटा (मीता चोरडिया) पुत्री स्व0 दीप चन्द नाहटा पत्नी श्री जय सिंह चोरडिया, निवासी 12, भवेश्वर सागर, 20 नेपन्सी रोड, बैंक ऑफ बडौदा के सामने, मुम्बई 400026 (महाराष्ट्र)

..........प्रार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अन्तर्गत
भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 22.05.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 28.03.1987 को राधाप्रकाश एंचारा पुत्र जेठमल जी एंचारा, निवासी कस्बा सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से ग्राम लखेर, पटवार क्षेत्र लखेर, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चंदवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता नम्बर नया 96 पुराना 80 के अन्तर्गत ख0न0 871 रकबा 0.1000 हैक्टे0, ख0न0 872 रकबा 0.8200 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 हैक्टे0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया गया तथा मौके पर भौतिक व वास्तविक कब्जा संभला लिया तथा उक्त आराजी प्रार्थीया की नाबालिग अवस्था में खरीद की गयी। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की नाबालिग अवस्था में सहवन से उसका नाम मीता नाहटा के स्थान पर गीता नाहटा दर्ज हो गया, जबकि विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1987 में प्रार्थीया का नाम मीता नाहटा दर्ज है तथा उक्त विक्रय पत्र के अनुसार उपरोक्त पैरा नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम गीता नाहटा के स्थान पर मीता नाहटा दर्ज होनी चाहिये था। प्रार्थीयां को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के यहां विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1987 की प्रति, अपनी पहचान से संबंधित एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज नाम के अनुसार उक्त खसरा नम्बर की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम गीता नाहटा को दुरूस्त किया जाकर मीता नाहटा दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया तो अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये बिना उक्त संशोधन से इंकार कर दिया, जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की नाबालिग अवस्था में खरीद की गयी थी तथा विक्रय पत्र में भी प्रार्थीया का नाम मीता नाहटा है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सहवन से मीता नाहटा के स्थान पर गीता नाहटा दर्ज हो गया। चूंकि उक्त आराजी में से कुछ भूमि परियोजना निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्त की जा चुकी है तथा मुआवजा दिया जाना शेष है, इसलिये प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में मीता नाहटा के

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला- जयपुर

स्थान पर गीता नाहटा दर्ज होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिस कारण से राजस्व रिकार्ड में तथा जमाबंदी में विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1987 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर की जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम को दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अप्रार्थी भू-स्वामी होने से आवश्यक पक्षकार है तथा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, जिस कारण से धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना अनिवार्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम लखेर, पटवार क्षेत्र लखेर, भू.अ.नि.क्षे. चंदवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 96 पुराना 80 एवं वर्तमान खाता 3 के अन्तर्गत ख0न0 871 रकबा 0.1000 हैक्टे0, ख0न0 872 रकबा 0.8200 हैक्टे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.9200 हैक्टे0 अवाप्ति के पश्चात ख0न0 871 रकबा 0.0506 व ख0न0 872 रकबा 0.6389 हैक्टे0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गीता नाहटा के स्थान पर मीता नाहटा दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। प्रार्थना पत्र की तथ्यात्मक जांच रिर्पोट तहसीलदार आमेर के पत्रांक भू.अ./2526 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा प्राप्त हुई जिसका सार इस प्रकार हैः-ग्राम लखेर के ख0न0 871, 872 किता 02 रकबा 0.6895 है0 में वर्तमान में खातेदार अजय कुमार नाहटा पुत्र दीपचन्द नाहटा हिस्सा 1/2 जाति नाहटा सी 36 लाजपत मार्ग सी. स्कीम जयपुर खातेदार नाबालिग गीता नाहटा पुत्री दीपचंद नाहटा संरक्षक सरपरस्त पिता दीपचन्द नाहटा हिस्सा 1/4, जाति नाहटा सी 36 लाजपत मार्ग सी स्कीम जयपुर खातेदार वगै0 शेष जमा0 बदस्तुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.1987 व नामा0 संख्या 51 के अनुसार कुमारी मीता नाहटा नाबालिग संरक्षक पिता श्री दीपचन्द नाहटा निवासी सी 36 लाजपत मार्ग सी स्कीम जयपुर वगै0 (शेष जमा0 बदस्तुर) के नाम से है, जो कि सहवन से माता नाहटा के स्थान पर गीता नाहटा अमल दरामद हो गया था। अतः श्रीमान जी नाबालिग गीता नाहटा पुत्री दीपचन्द नाहटा संरक्षक सरपरस्त पिता दीपचन्द नाहटा 1/4 जाति नाहटा के स्थान पर मीता नाहटा पुत्री दीपचंद नाहटा हिस्सा 1/4 जाति नाहटा सी 36 लाजपत मार्ग सी स्कीम जयपुर खातेदार किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम लखेर, पटवार क्षेत्र लखेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 3 के ख0न0 871 एवं 872 में खातेदार नाबालिग गीता नाहटा पुत्री दीपचन्द नाहटा संरक्षक सरपरस्त पिता दीपचन्द नाहटा के स्थान पर मीता नाहटा पुत्री दीपचंद नाहटा शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है।

आज दिनांक 22/05/2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर